रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

B 273960

उप पंजीयक श्री महावीर जी

विक्रय- विलेखा

आज दिनांक 20-06-2016 ई0 को यह विक्रय विलेखा निम्न पक्षों के मध्य तहरीर व तकमील किया जा कर सम्पन्न हुआ :-

(1) प्रद्युमनसिंह उम्र 48 साल | पिसरान रतनसिंह | जाति गूजर
(2) विजेन्द्र सिंह उम्र 46 साल | | निवासी ग्राम
(3) कमलेश पुत्री रतनसिंह उम्र 43 साल | रेण्हायल तहसील
(4) श्रीमति रीनासिंह पत्नि विक्रमसिंह उम्र 45 साल | गंगापुर सिटी

--- विक्रेतागण (प्रथमपक्ष)

बहक

श्री लक्ष्मी आदर्श शिक्षा समिति श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0) जरिये ~~अध्यक्ष~~ सचिव श्री बनैसिंह पुत्र श्री गुट्टीराम उम्र 57 साल जाति गुर्जर निवासी बाढ कैमरी तहसील नादौती जिला करौली (राज0) ------------------ क्रेता (द्वितीयपक्ष)

कमलेश

Reena Sh

उप पंजीयक
श्री महावीर जी

मुद्राक विक्रेता रामचरण चतुर्वेदी (बहादुरपुर)
अनुज्ञा पत्र संख्या 11/2003-04 तहसील परिसर हिण्डौन
रजिस्टर क्रम 699/ दिनांक 16-6-16
मुद्रांक मूल्य 5000/-
मुद्रांक क्रेता का नाम पता संख्या
प्रयोजन
क्रेता हस्ते हस्ताक्षर
मुद्रांक विक्रेता हस्ताक्षर
तहसील परिसर हिण्डौन (करौली) 16-6-16

आज दिनांक 20-6-2016 को 3:30pm
बजे श्री प्रद्युम्न
पुत्र/पुत्री रतन सिंह
48 गुर्जर
निवासी रैण्डायल
सम्मुख दस्तावेज
ह० प्रस्तुतकर्ता
ह० उप पंजीयक श्रीमहावीर जी

रसीद नं० 841665 दिनांक 20/6/16
पंजीयन शुल्क रुपये 6990:00
प्रतिलिपी शुल्क रुपये 300:00
पृष्ठांकन शुल्क 6990:00
अन्य शुल्क
कमी स्टाम्प 29920:00
कुल योग रुपये 44200:00
उप पंजीयक श्रीमहावीर जी

विक्रयपत्र- 2,50,000/- रूपये

जो कि हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष के स्वामित्व स्वत्व खातेदारी टीनेन्सी की आराजीयात खासरा नम्बर 28 रकबा 0·20 हैक्टेयर किस्म चाही-2, खासरा नम्बर 29 रकबा 0·20 हैक्टेयर किस्म चाही-2, खासरा नम्बर 30 रकबा 0·20 हैक्टेयर किस्म चाही-2 कुल किता 3 कुल रकबा 0·60 हैक्टेयर स्थित ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन है। मुताबिक रिकार्ड आफ राइट्स जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 इन आराजीयात के हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष तन्हा पूर्ण स्वामी व मालिक खातेदार काश्तकार है जो कि हर प्रकार के देय भार विवादों से मुक्त है और हमें अपनी इन - आराजीयात को हर प्रकार से अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह आराजीयात सिंचित काश्त है तथा सड़क व आबादी से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है और विक्रय करने में कोई कारण बाधक नही है। इन आराजीयात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नही है।

यहकि हम प्रथमपक्ष विक्रेतागण को अपनी पारिवारिक आर्थिक समस्या समाधान हेतू रूपयों की आवश्यकता है इसलिए हमने अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकबा 0·60 हैक्टेयर स्थित ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन सम्पूर्ण को बिल एवज मुबलिग 2,50,000/- रूपये अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये में उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष श्री लक्ष्मी आदर्श शिक्षा समिति श्रीमहावीरजीको विक्रय कर दियाहै और विक्रय धनराशि चूकती रोकडी क्रेता द्वितीयपक्ष से प्राप्त करके कब्जा वाकई मौके पर विक्रित आराजीयात का क्रेता द्वितीयपक्ष को करा दिया है।

उप खण्ड अधिकारी
श्री महावीर जी

1. उक्त विक्रेता श्री/श्रीमती/सुश्री प्रद्युम्न
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रतन सिंह
उम्र 48 वर्ष जाति गूजर
निवासी रैण्डायल
2. विक्रेता श्री विरेन्द्र
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रतन सिंह
उम्र 46 वर्ष जाति गूजर
निवासी रैण्डायल
3. विक्रेता श्री/श्रीमती/सुश्री कमलेश
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रतन सिंह
उम्र 42 वर्ष जाति गूजर व्यवसाय
निवासी रैण्डायल
4. श्रीमती रीना सिंह पत्नि विक्रम सिंह
उम्र 45 जाति गूजर नि. रैण्डायल

हस्ताक्षर	अंगूठा निशानी
प्रद्युम्न, विरेन्द्र, कमलेश, Reena Singh	

श्री लक्ष्मी आदर्श शिक्षा समिति श्रीमहावीरजी जरिये सचिव
1. उक्त क्रेता श्री/श्रीमती/सुश्री घनें सिंह
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री गठरीराम
उम्र 57 गूजर
निवासी बाढ़ कैमरी तह. नादौती
2. ...
पुत्र...
उम्र...
निवासी...
ने लेख ...
करना स्वीकार ...
मे मेरे समक्ष ...

हस्ताक्षर	अंगूठा निशानी

उप पंजीयक श्री महावीर जी

यहकि विक्रित आराजीयात से अब हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष का अथवा हमारे वाली वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नही रहा है जो हक हकूक मालिकाना उपयोग, उपभोग परिवर्तन, परिवर्द्धन, हस्तांतरण आदि हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वह सभी अब उक्त क्रेता द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये है कि क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रित आराजीयात का उपयोग उपभोग कर इनकी पैदावार का लाभ उठावें तथा इनमें अन्य परिवर्तन परिवर्द्धन हस्तांतरण आदि करे व कागजात लैण्ड रिकार्डस में दर्ज हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष के नाम के स्थान पर क्रेता द्वितीयपक्ष अपना स्वंय का नाम दर्ज करावें।

यहकि भविष्य में विक्रित आराजीयात हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष के अधिकारों की त्रुटि से अथवा हमारे वाली वारिसान की चुनौती से क्रेता द्वितीयपक्ष के कब्जा व अधिकार से निकल जाने की सूरत में समस्त विक्रय धनराशि या होने वाली क्षति की पूर्ति मय हर्जा खर्चा हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष से व हमारी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से क्रेता द्वितीयपक्ष को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

यहकि विक्रित आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में कोई अनुबन्ध नही हुआ है भविष्य में देय मुद्रांक कर की देनदारी की समस्त जिम्मेदारी क्रेता द्वितीयपक्ष की होगी ।

यहकि इस विलेख के साथ इसकी फोटोप्रति पेश की जा रही है जिसके कोई भी शब्द मिट जायेन्गे अथवा अस्पष्ट हो जायेन्गे तो उसकी विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

अतएंव यह विक्रय विलेख आज दिनांक 20-06-2016 ई0 को हम विक्रेतागण प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी होश हवाश

उप पंजीयक
श्री महावीर जी

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] की मालियत
अनुसार 698400 [illegible] स्टाम्प
राशि 29920 6990+6990+300
कुल राशि 44200 85/665
दिनांक 20/6/2016
अतः प्रमाणित [illegible] 34920 [illegible] पर
निष्पादित माना जाता है।
उप पंजीयक श्री महावीर जी

उक्त निष्पादक [illegible] केदारसिंह
1. श्री/श्रीमती 3मेगा पुत्र [illegible]
उम्र 28 गुर्जर
निवासी रेन्डायल गुजर
2. श्री नाहरसिंह पुत्र सिरौंठी
उम्र 40 माधव
निवासी रेन्डायल गुर्जर
निवासी
उप पंजीयक श्री महावीर जी

नाहरसिंह

से दुरूस्त हो कर स्वेच्छा से क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में क्रेता के खार्चा से स्टाम्प कीमती 5000/- रूपये नग किता एक व तीन पेपरों पर तहरीर तकमील करा दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक :- 20-06-2016 ई0

हस्ताक्षर निष्पादकगण

हस्ताक्षर क्रेता

साक्षीगण

§1§ ---------------- §श्री उमंगसिंह पुत्र श्री केदारसिंह उम्र 28 साल जाति गुर्जर निवासी रेण्डायल गूजर तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर §

§2§ ---------------- § [illegible]

श्री नाहरसिंह जाटव पुत्र श्री किरोडी उम्र 40 साल जाति जाटव निवासी रेण्डायल गुर्जर तहसील वजीरपुर §

Pushpendra Kumar Jain
Advocate
Hindaun City

उप पंजीयक
श्री महावीर जी

आज दिनांक 20/6/16 को पुस्तक संख्या 1
जिल्द संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 200 क्र०सं० 900
पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1
जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 2148 से 2156
पर चस्पा किया गया

उप पंजीयक श्री महावीर जी

665

84/665 (3) 84 वृत्त–भरतपुर/01

...द संख्या 84/665

...ते लेख्य–पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

पेश करने वाले या आवेदन–पत्र देने वाले का नाम प्रद्युम्न सिंह [illegible]

2. लेख्य–पत्र की किस्म [illegible]

3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई — रुपये पैसे

4. प्रतिफल की रकम

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री — 6990:00

(2) लेख्य–पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस — 6990:00

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस — 300:00

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस — 29920:00

ग. विविध फीस :

(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार–पत्र प्रमाणीकरण फीस

(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस

(3) धारा 35 से 24 के अनुसार देर से लेख्य–पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस

(6) संरक्षण फीस

(7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेते अथवा खोलने की फीस

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस

(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

G.R. No. 0011612746
20/6/16

योग फीस 44200:00

फीस के प्राप्त होने की तारीख 20/6/16

लेख्य–पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर